

# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

# **Indian Institute of Technology Indore**

#### **Guidelines Anti-ragging and Anti-Harassment**

रैगिंग विरोधी और उत्पीड़न विरोधी दिशानिर्देश

- यह अधिसूचित किया जाता है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित बन जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/रखवाला या मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सहायता डेस्क को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.
  - It is notified that <u>Ragging is a Criminal Offence</u>. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker or Chief Security Officer/Security Help Desk. Your identity will be kept strictly confidential.
- 2. यदि संस्थान के अधिकारियों के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह संस्थान के मानदंडों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी अन्य आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कानून या उस समय लागू किसी कानून के तहत की जा सकती है।
  - If it comes to the notice of the Institute authorities that anybody is involved in ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to disciplinary action as per the Institute norms, without prejudice to any other criminal action that may be taken against such individual under any penal law or any law for the time being in force.
- 3. रैगिंग के विभिन्न प्रकार:
  - Various Types of Ragging:
- (a) रैगिंग के कई पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहित बहुआयामी प्रभाव।
  - Ragging has several aspects, multidimensional ramifications including psychological, physical, social, political, economic, cultural, and academic.
- (b) कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है उसे रैगिंग माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या वरिष्ठों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी जूनियर छात्र का शोषण करना रैगिंग माना जाएगा।
  - Any act that prevents, disrupts, or disturbs the regular academic activity of a student will be considered as ragging. Similarly, exploiting the services of a junior student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of seniors will be considered as ragging.
- (c) कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है उसे रैगिंग माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या विरष्ठों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी जूनियर छात्र का शोषण करना रैगिंग माना जाएगा।
  - Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a junior student by senior student/s will be considered as ragging of economic dimensions.
- (d) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं; यौन शोषण, समलैंगिक हमले, निर्वस्त्र करना, अश्लील और भद्दे कृत्य, इशारे, जिससे शारीरिक क्षिति हो या जिससे स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो, उसे आपराधिक आयाम वाली रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा।
  - Any act of physical abuse including all variants of it; sexual abuse, homosexual assaults, stripping, obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or the person, will be put in the category of ragging with criminal dimensions.
- (e) दुर्व्यवहार का कोई भी कार्य, चाहे मौखिक रूप से या ईमेल, स्नेल-मेल, या ब्लॉग द्वारा, रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अंतर्गत माना जाएगा। इस पहलू में सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से दूसरों की अस्विधा में भाग लेने से विकृत आनंद, विचित्र



# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

# **Indian Institute of Technology Indore**

या परपीड़क रोमांच प्राप्त करना भी शामिल होगा।

Any act of abuse, either verbally or by emails, snail-mails, or blogs, will be considered within the psychological aspects of ragging. This aspect will also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to others.

- (f) उच्च शिक्षा में प्रवेश और छात्रावास में जीवन के लिए 'नए छात्रों को तैयार करने' की कार्रवाई को भी रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू के रूप में माना जाएगा। कोई भी कार्य जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, उसे रैगिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में वर्णित किया जाएगा। इस संबंध में, माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों/बच्चों को संस्थान में अजनबियों या वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते समय संचार कौशल सीखने के लिए शिक्षित करें।

  The action of 'preparing freshers' in the run up to their admission to higher education & life in hostel will also be ascribed as a psychological aspect of ragging. Any act that affects the mental health and self-confidence of students will be described in terms of the psychological aspects of ragging. In this regard, parents are advised to educate the students/children to learn communication skillswhile interacting with strangers or seniors in the Institute.
- 4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में रैगिंग में शामिल होने और बढ़ावा देने वाले छात्रों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई इस प्रकार है:

Actions to be taken against students for indulging and abetting in Ragging at IIT Indore are as follows:

- (a) जैसा ऊपर उल्लिखित है रैगिंग के किसी भी कृत्य में शामिल व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा अनुकरणीय और गंभीर होगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके। किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों को भारत में किसी भी तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है।

  Punishment to be meted out to persons who indulge in any act of ragging as mentioned above will be exemplary and severe so that the same act as a deterrent against recurrence of such incidents. Students found indulging in ragging, in any form, may be debarred from taking admission in any technical institution in India.
- (b) संस्थान की एंटी-रैगिंग और एंटी-उत्पीड़न समिति द्वारा स्थापित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, संस्थान में रैगिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए संभावित सजा निम्नलिखित में से कोई एक या कोई संयोजन होगी:

  Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging and Anti-Harassment Committee of the Institute, the possible punishments for those found guilty of ragging at the Institute shall be any one or any combination of the following:
- (i) प्रवेश रद्द करना। Cancellation of admission.
- (ii) कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन। Suspension from attending classes.
- (iii) छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना। Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits.
- (iv) किसी भी परीक्षण/परीक्षा, प्लेसमेंट गतिविधियों या अन्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोकना। Debarring from appearing in any test/examination, placement activities or otherevaluation processes.
- (v) परिणाम रोकना। Withholding results.



# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

# **Indian Institute of Technology Indore**

(vi) किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट/खेलकूद-प्रतियोगिता, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।

Debarring from representing the Institution in any regional, national, or international meet, tournament, youth festival, etc.

- (vii) छात्रावास से निलंबन/निष्कासन। Suspension/expulsion from the Hostel.
- (viii) 1 से 4 सेमेस्टर तक की अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन। Rustication from the Institute for period ranging from 1 to 4 semesters.
- (ix) संस्थान से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक।

  Expulsion from the Institute and consequent debarring from admission to any other institution.
- (x) ₹25,000/- का जुर्माना. Fine of ₹25,000/-.
- (xi) सामूहिक दंड जब रैगिंग के अपराध को अंजाम देने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्थान संभावित अपराधियों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लेगा। Collective punishment when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the Institute will resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential offenders.
  - 5. अनुशासनात्मक समिति या एंटी-रैगिंग समिति के पास रैगिंग के दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे और निर्धारित कानून के तहत, यदि कोई हो।

    The Disciplinary Committee or the Anti-ragging Committee reserves the right to take any kind of action against the individual found guilty of ragging, as deemed fit by it and under the prescribed law, if any.

ध्यान दें: इन नियमों में 'हॉल ऑफ रेजिडेंस' को 'हॉस्टल' कहा गया है। NOTE: 'Hall of Residence' is called as 'Hostel' in these Rules.



#### छात्रावास के नियम एवं विनियम

#### **HOSTEL RULES AND REGULATIONS**

- छात्रों को छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
   Students are to follow the Hostel Rules and Regulations.
- 2. यह अधिसूचित किया गया है कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। यदि आप पीड़ित हो जाते हैं या ऐसी कोई घटना देखते हैं, तो मामले की सूचना अपने छात्रावास वार्डन, केयरटेकर/ रखवाला, सुरक्षा या एंटी-रैगिंग और उत्पीड़न-विरोधी समिति को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. कृपया रैगिंग विरोधी नियमों को पढें।
  - It is notified that **ragging is** a **criminal offence**. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your Hostel Warden, Caretaker, Security or Anti-Ragging and Anti-harassment Committee. Your identity will be kept strictly confidential. Please go through the Anti- Ragging Rules.
- 3. यदि प्रबंधन के ध्यान में यह बात आती है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है, तो वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की एंटी-रैगिंग और एंटी-उत्पीइन समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

  If it comes to the notice of the management that anybody is involved in Ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to strict disciplinary action as mentioned under the guidelines of Anti-Ragging and Anti-Harassment Committee of IIT Indore.
- 4. किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का परिग्रह और / या सेवन जैसे संस्थान परिसर में चरस, गांजा आदि या शराब प्रतिबंधित है। किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  - Possession and / or consumption of any banned substances e.g. charas, ganja etc. or alcohol is prohibited within the Institute premises. Any violation will be viewed very seriously, and appropriate disciplinary action can be taken.
- 5. छात्रों को छात्रावास या संस्थान परिसर के साथ-साथ शहर में कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर रखने/उपयोग करने की अनुमित नहीं है। वाहन के ऐसे अनिधकृत उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना/दुर्घटना के मामले में, संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
  - Students are **not** permitted to keep/use Car, Motorcycle, or Scooter at the hostel or Institute premises, as well as in the city. In case of any type of accidents/mishaps resulting from such unauthorized use ofvehicle, the Institute will not be held responsible.
- 6. छात्रों को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच परिसर से बाहर जाने की अनुमित नहीं है। सभी छात्रों को परिसर में रात 11 बजे तक अपने कमरे में लौट आना चाहिए।
  - Students are not allowed to go out of campus between 2200 hrs to 0600 hrs. All students should return to their rooms latest by 2300 hrs at the campus.
- छात्रों को किसी भी कारण से निर्माणाधीन भवन स्थलों में प्रवेश की अनुमित नहीं है।
   Students are not allowed to enter the under-construction building sites for any reason.
- छात्रों को वन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमित नहीं है।
   Students are not allowed to enter the forest area.
- 9. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिसर के अंधेरे इलाकों में टहलने न जाएं। Students are advised not to go for a walk in the dark areas of the campus.

- 10. विद्यार्थियों के लिए किसी भी छत पर प्रवेश वर्जित है। Entry to any terrace is prohibited for students.
- 11. छात्र अपने सामान के लिए जिम्मेदार हैं। सभी मूल्यवान वस्तुएँ जैसे नकदी, कैमरा, सोने की वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ जैसे लैपटॉप, आईपॉड आदि को अलमारी में बंद करके रखना चाहिए। Students are responsible for their belongings. All valuable items such as cash, camera, gold items and electronic items such as laptop, iPod etc. are to be kept locked in the cupboard.
- 12. बाहर जाते समय हमेशा अपने कमरे बंद रखें। Always **Lock** your rooms on your way out.
- 13. कई मौकों पर छात्र बदमाशों को पकड़कर सुरक्षा में मददगार रहे हैं। हम आपसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि आप इस संबंध में एक प्रभावी सदस्य बनें और सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करें। सुरक्षा हर किसी की चिंता है, कृपया सहयोग करें।
  - On many occasions, students have been helpful for security by nabbing miscreants. We also expect you to be an effective member in this regard and be vigilant and assist us as and when required. Security is everybody's concern, please cooperate.
- 14. यदि आप इंदौर शहर से अपरिचित हैं, तो बाहर जाने से पहले अपने छात्रावास के निवासियों से नियमों/विनियमों और इसमें शामिल किसी भी जोखिम के बारे में खुद को परिचित कर लें।
  - In case you are unfamiliar with Indore city, do acquaint yourself from your hall of residence inmates about the rules/regulations and any risks involved before moving out.
- 15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर परिसर में या बाहर जाते समय हमेशा अपना पहचान पत्र साथ रखें, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। Always carry your Identity Card while moving in or out of IIT Indore Campus which may be asked to produce at any time by relevant authority.
- 16. किसी आपातकालीन स्थिति में जहां बाहरी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर-ब्रिगेड आदि को बुलाने की आवश्यकता हो, छात्र को तुरंत सुरक्षागार्ड, परिचारक या छात्रावास कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जो संस्थान की ओर से आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करेगा।

In case of an emergency where external agencies such as police, fire-brigade etc. need to be called, student should immediately contact the Security, Attendant or Hostel Office, who will contact the emergency services on behalf of the Institute.

ध्यान दें: (1) \_छात्रावास नियम समय-समय पर संशोधन और अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। Note: Hostel rules are liable for modification time to time and for compliance.

ध्यान दें:(2) इन नियमों में 'हॉल ऑफ रेजिडेंस' को 'हॉस्टल' कहा गया है। NOTE: 'Hall of Residence' is called as 'Hostel' in these Rules.



## भोजन के नियम और विनियम DINING RULES AND REGULATIONS

- हाथापाई, समूह में लड़ाई, धमकी या हिंसा, संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या नशे में व्यवहार करने का कोई भी कार्य गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  - Any act of manhandling, group fighting, intimidation or violence, willful damage to property or drunken behavior will be considered a serious offence. Strict punitive action will be taken against person/s involved in such activities.
- 2. छात्र किसी भी कर्मचारी/सेवा प्रदाता, आहार कक्ष कर्मचारी, भोजन समिति के सदस्यों, आतिथ्य प्रबंधक, छात्रावास प्रबंधक, केयरटेकर/रखवाला आदि के साथ किसी भी अनैतिक कार्य या दुर्व्यवहार में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपका आचरण और भाषा संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रतिबंबित करना चाहिए।
  - The students shall not indulge in any immoral act or misbehavior with any staff/service provider, dining hall staff, dining committee members, hospitality manager, hall of residence manager, caretaker, etc. It will lead to strict disciplinary action. Your conduct and language should reflect the reputation of the Institute.
- सभी छात्रावासियों को किसी एक कैटरर/भोजन प्रदाता के साथ केंद्रीय आहार सुविधा में भोजन करना होगा।
   छात्रावासों में खाना बनाना सख्त वर्जित है।
  - All hostellers must dine in the Central Dining Facility with one of the caterers. Cooking is strictly prohibited in hostels.
- 4. भोजन केवल संचालन के संकेतित समय के दौरान ही परोसा जाएगा।
  Meals will be served strictly during indicated timings of operation only.
- 5. बीमारी की स्थिति में, संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से लिखित सलाह प्राप्त होने पर छात्रों को बीमार आहार प्रदान किया जाएगा। छात्रावासियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी विशेष भोजन की आवश्यकता के बारे में कैटरर/भोजन प्रदाता को पहले से सूचित करें।
  - In case of illness, sick diet will be provided to the students upon receipt of a written advice from the Institute Medical Officer. Hall residents are advised to inform the caterer in advance about therequirement of any special meal.
- 6. छात्रावासियों को आहार कक्ष के बाहर बर्तन/भोजन नहीं ले जाना चाहिए। (केवल नियम संख्या 5 में उल्लिखित परिस्थितियों में छूट दी गई है।
  - Hall residents should not take the utensils/food outside the dining hall. (Exempted only under circumstances mentioned in Rule no. 5.
- 7. रसोई और स्टोर क्षेत्र के निरीक्षण में शामिल छात्र भोजन समिति को छोड़कर किसी भी छात्रावासी को रसोई क्षेत्र में प्रवेश करने की अन्मित नहीं है।
  - No hostel resident is allowed to enter the kitchen area except for the student dining committee who are involved in inspection of kitchen and store area.
- 8. किसी भी परिस्थिति में अन्य छात्रों के साथ भोजन साझा नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटें/ थालियां प्रत्येक



विदयार्थी को व्यक्तिगत रूप से लेनी चाहिए।

No meals should be shared with other students under any circumstances. Plates should be taken individually by each student.

- 9. केवल उन्हीं सुझावों/शिकायतों पर विचार किया जाएगा जो केंद्रीय आहार सुविधा पोर्टल और/या स्टूडेंट जिमखाना निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पूरी तरह से आधिकारिक होनी चाहिए और शिकायत भावनात्मक के बजाय वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। Only those Suggestions/Complaints which are submitted through the Central Dining Facility Portal and/or through the Student Gymkhana body will only be considered. The language used for such purpose should be strictly official and the complaint should be objective, rather than emotive.
- 10. छात्रों को उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है और उन्हें अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर समुदाय के सदस्यों के सोशल मीडिया/प्रेस/साम्हिक ई-मेल का उपयोग करने की सख्त मनाही है।

  Students are advised to approach appropriate authority and are strictly prohibited to use social media/press/mass emailing of IITI community members as a platform to address their grievances.
- 11. संस्थान परिसर में छात्रों द्वारा अवैध दवाओं और शराब के इस्तेमाल, उपयोग या वितरण पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है और यह सख्त कार्रवाई करने, छात्रावास से निष्कासन से लेकर संस्थान से निष्कासन तक का अधिकार स्रक्षित रखता है।
  - The Institute strictly prohibits the unlawful possession, use, or distribution of illicit drugs and alcohol by students in campus and it reserves the right to take strict action, expulsion from the Hall of Residence to expulsion from the Institute.
- केंद्रीय आहार सुविधा भवन में धूम्रपान निषेध है और संस्थान जुर्माना लगा सकता है/या अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो सकता है।
  - Smoking is prohibited in the Central Dining Facility building and the Institute may impose fine/ormay be subjected to disciplinary action.
- 13. नियम 1-11 का अनुपालन न करने पर वार्डन/छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है।
  - Non-compliance of rules 1-11 may lead to disciplinary action decided by the Wardens /Hostel staff.
- 14. लगाए गए जुर्माने और जुर्माने के संबंध में निर्णय समझौता योग्य नहीं है; इसलिए किसी भी चर्चा/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - The decision regarding fines and penalties imposed is non-negotiable; hence no discussion/argument will be entertained.

## <u>छूट नियम</u>

#### **REBATE RULES**

- 1. हॉस्टलर्स के लिए मेस अनिवार्य है। छात्र स्वयं बाहर भोजन नहीं कर सकते और इसके लिए मेस छूट का दावा नहीं कर सकते।
  - Mess is mandatory for Hostellers. Students cannot dine out on their own and cannot claim mess rebate for the same.
- 2. मेस छूट का लाभ उठाने के इच्छुक निवासियों को छात्र भोजन समिति द्वारा वर्णित तौर-तरीकों का उपयोग करके भोजन समिति के माध्यम से कैटरर को सूचित करना आवश्यक होगा। Residents, desirous of availing mess rebate, will be required to inform the caterer, through
- the Dining Committee using modalities described by Student Dining Committee.

  3. वर्तमान नियमों के अनुसार, छूट को Google फॉर्म/केन्द्रीय आहार सुविधा पोर्टल के माध्यम से कम से कम

  2-7 दिनों तक लगातार लागू किया जा सकता है, जिसकी निगरानी छात्र डाइनिंग कमेटी और डाइनिंग वार्डन कार्यालय दवारा की जाती है।
  - As per current rules, rebate can be applied for a minimum of 2-7 consecutive days, through a google form/Central Dining Facility Portal which is monitored by Student Dining Committee and Dining Warden Office.
- 4. गूगल फॉर्म मोडैलिटी के माध्यम से अधिकतम 8 दिन/माह की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। A maximum of 8 days/month of rebate can be availed through the google form modality/Central Dining Facility Portal.
- 5. लगातार 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए, पंजीकृत छात्रों के लिए संबंधित संकाय सलाहकार/पर्यवेक्षक/एचओडी द्वारा आवेदन की सिफारिश की जानी चाहिए। अनुशंसित आवेदन छूट अवधि शुरू होने के दिन से दो दिन पहले शाम 5 बजे तक भोजन कार्यालय में जमा या केंद्रीय आहार सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
  - For a period exceeding 7 consecutive days, application should be recommended by the concerned Faculty advisor/supervisor/HOD for registered students. The recommended application should be submitted to Dining Warden Office or uploaded on the Central Dining Facility Portal, two days before the day of commencement of rebate period, latest by 5 p.m.
- 6. किसी भी निवासी, जो रिबेट/छूट पर है, को अतिरिक्त निवासियों या अन्य निवासियों के अतिथि के आधार पर मेस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। No resident, who is on rebate, will be allowed to avail the mess facility based on extras or
- guest of other residents.
  7. नीचे उल्लिखित मामलों में पूर्ण छूट स्वीकार्य है, बशर्ते कि भोजन समिति के माध्यम से कैटरर/ भोजन प्रदाता को जानकारी प्रदान की जाए, जैसा कि छूट नियमों के पैरा 1 में बताया गया है:
  - Full rebate is admissible on below mentioned cases, subject to providing information to the Caterer,through the Dining Committee, as mentioned Para1 of Rebate Rules:
  - (a) संस्थान द्वारा घोषित अवकाश अवधि के दौरान निवासी अवकाश पर है। Resident is on vacation leave during the vacation period declared by the Institute.



- (b) निवासी स्टेशन/ठिकाने से बाहर है, केवल तभी जब संबंधित विभाग या संस्थान यानी संकाय सलाहकार/पर्यवेक्षक/डीपीजीसी संयोजक/एचओडी/परियोजना समन्वयक से दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित हो।
  - Resident is out of station, only when supported by documentary proof from the concerned department or Institute i.e. Faculty Advisor/Supervisor/DPGC Convener/HoD/ Project Coordinator.
- (c) निवासी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित चिकित्सा अवकाश पर है। Resident is on medical leave as certified by Health Centre.
- (d) स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य कारणों से निवासी मेस का भोजन लेने में असमर्थ है। Resident is unable to take mess food owing to health reasons as certified by Health Centre
- 8. उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले निवासियों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो संस्थान के खाते में जमा किया जाएगा।
  - Residents found violating any of the above-mentioned rules will be fined with a penalty which will be deposited in the Institute account.
- 9. छूट नियम समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं और नवीनतम नियम लागू होते हैं। The rebate rules are subject to change from time to time and the latest rules prevails.

ध्यान दें: इन नियमों में 'हॉल ऑफ रेजिडेंस' को 'हॉस्टल' कहा गया है।

NOTE: 'Hall of Residence' is called as 'Hostel' in these Rules.



## इंटरनेट पहुंच और ई-मेल के लिए नीति प्रयोग POLICY FOR INTERNET ACCESS AND E-MAIL USAGE

### <u>सामान्य करने योग्य</u>

#### **General Do's**

- नियम का सम्मान करें "जिसकी स्पष्ट रूप से अनुमित नहीं है वह निषिद्ध है"।
   Respect the rule "that which is not expressively permitted is prohibited".
- 2. अपने इंटरनेट का उपयोग कम से कम रखें। Keep your internet usage to a minimum.
- 3. जांचें कि इंटरनेट पर आपके द्वारा एक्सेस की गई कोई भी जानकारी सटीक और पूर्ण है। Check that any information you access on the Internet is accurate and complete.
- जानकारी की वैधता की जाँच करें।
   Check the validity of the information.

accessing IITI networks in hostels.

- 5. कॉपीराइट और लाइसेंस द्वारा प्रदान किए गए डेटा और सॉफ़्टवेयर की कानूनी सुरक्षा का सम्मान करें। Respect the legal protections to data and software provided by copyright and licenses.
- 6. असामान्य घटनाओं, यदि कोई हो, के बारे में कंप्यूटर समिति को सूचित करें। Inform the Computer Committee about unusual occurrences, if any.
- इंटरनेट संबंधी समस्याओं के लिए "सिस्टम मैनेजर" से संपर्क करें।
   Contact the "System Manager" for internet related issues.
- 8. यदि आपको नियमों को समझने में कोई अस्पष्टता मिलती है तो "कंप्यूटर समिति" से संपर्क करें। Contact the "Computer Committee", in case if you find any ambiguity in understanding the rules.
- 9. हॉस्टल में आई.आई.टी.आई. नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सभी कंप्यूटरों (डेस्कटॉप/लैपटॉप) का मैक पता पंजीकृत करें। Register the Mac address of all the computers (desktop/laptop) when needed for
- 10.इंटरनेट का उपयोग केवल कार्य/पेशेवर संबंधित मामलों के लिए करें। Use the internet only for work/professional related matters.
- 11.गति बाधा को रोकने के लिए, समय-समय पर ब्राउज़र इतिहास और कैश को साफ़ करें। Clean the browser history and cache, periodically, to prevent speed bottleneck.
- 12.गति बाधा को रोकने के लिए किसी भी जंक फ़ाइल (गलती से स्थापित) को तुरंत हटा दें। Remove any junk files (accidentally installed) immediately to prevent speed bottleneck.
- 13.इंटरनेट संबंधी किसी भी बड़े विवाद की स्थिति में "आईटी सेल" से संपर्क करें। Contact "IT Cell" in case of any major dispute about internet problems.
- 14.वेब सामग्री तक पहुंच/डाउनलोड करते समय संस्थान के सकारात्मक हित में अपने तर्कसंगत निर्णय का उपयोग करें।
  - Use your rational judgment in the positive interest of the Institute when accessing/downloading web contents.

#### सामान्य क्या न करें

#### **General Don'ts**

 ऐसी फ़ाइल/छिवयां/वीडियो/गाने डाउनलोड न करें जो बड़े आकार में हों, या जिनमें अश्लील, नस्लवादी, या अत्यिधक राजनीतिक प्रकृति की सामग्री हो, या जो हिंसा, घृणा या किसी भी अवैध गतिविधि को उकसाती हो।

Do not download the file(s)/images/videos/songs that bulk in size, or which contain material of a pornographic, racist, or extreme political nature, or which incites violence, hatred, or any illegal activity.

- 2. इंटरनेट साइटों से तब तक सामग्री डाउनलोड न करें जब तक वह आपके काम से संबंधित न हो। Do not download content(s) from internet sites unless it is related to your work.
- 3. इंटरनेट से निःशुल्क, बिना लाइसेंस वाला सॉफ़्टवेयर डाउनलोड न करें और इसे संस्थान के कंप्यूटर पर इंस्टॉल न करें।
  - Do not download free, unlicensed software from the internet and install it on the Institute's computer.
- 4. किसी अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क में अनिधकृत प्रवेश करने के लिए संस्थान के कंप्यूटर का उपयोग न करें। Do not use the Institute's computers to make unauthorized entry into any other computer or network.
- 5. अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, सेवाओं या उपकरणों को बाधित या हस्तक्षेप न करें। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के संचालन में जानबूझकर व्यवधान डालना एक अपराध है। किसी भी मशीन को रीसेट या पावर-ऑफ न करें।

Do not disrupt or interfere with other computers or network users, services, or equipment. Intentional disruption of the operation of computer systems and networks is a crime. Do not reset or power-off any machine.

- अपने आप को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत न करें।
   Do not represent yourself as another person.
- 7. अपना पासवर्ड साझा न करें.
  - Do not share your password.
- 8. अपनी स्क्रीन को लावारिस न छोड़ें। यदि आवश्यक हो तो लॉग आउट करें.
  - Do not leave your screen unattended. Log out if necessary.
- 9. गोपनीय, राजनीतिक, अश्लील, धमकी देने वाली या परेशान करने वाली सामग्री या बौद्धिक अधिकारों से सुरक्षित सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग न करें।
  - Do not use internet to transmit confidential, political, obscene, threatening, or harassing materials or contents protected with intellectual rights.
- 10. ईमेल के माध्यम से ऐसी फ़ाइलें (या प्रोग्राम) संलग्न और प्रसारित न करें जिनमें अवैध/अनिधकृत सामग्री हो।
  - Do not attach and transmit files (or programs) through email which contains illegal/unauthorized materials.

- 11. किसी भी चिंता के लिए सामान्य कार्य के # 7, 8 और 13 में उल्लिखित संपर्क व्यक्ति के अलावा किसी और से संपर्क न करें।
  - Do not contact anyone else besides the contact person mentioned in # 7, 8 & 13 of General Do's for any concerns.
- 12. जब तक विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए, सभी समुदायों में से किसी को भी ईमेल न भेजें। Do not send emails to any of all the communities unless specifically authorized.

# गोपनीयता और स्रक्षा नीतियाँ

### Privacy and Security Policies

- किसी की निजता में दखल न दें.
   Do not intrude on privacy of anyone.
- 2. दूसरों की जानकारी और स्पष्ट सहमति के बिना उनके कंप्यूटर (हैकिंग), खातों, फाइलों या जानकारी तक पहुंचने का प्रयास न करें।
  - Do not try to access computers (hacking), accounts, files, or information belonging to others without their knowledge and explicit consent.
- 3. ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आई.आई.टी. इंदौर नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा हो। फ़ायरवॉल और एक्सेस नियमों को बायपास करने का प्रयास न करें। इसमें किसी भी प्रकार के सर्वर (उदाहरण: वेब, मेल, प्रॉक्सी) स्थापित नहीं करना शामिल है, जो आई.आई.टी. इंदौर परिसर के बाहर की दुनिया को दिखाई दे। Do not take any steps that endanger the security of the IIT Indore network. Do not attempt to bypass firewalls and access rules in place. This includes not setting up servers of any kind (examples: web, mail, proxy) that are visible to the world outside the IIT Indore campus.
- 4. इलेक्ट्रॉनिक संचार या नेटवर्क ट्रैफ़िक में दूसरों को उसकी पहचान के बारे में धोखा देने का प्रयास न करें। Do not attempt to deceive others about his/her identity in electronic communications or network traffic.
- 5. दूसरों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए आईटी संसाधनों का उपयोग न करें। Do not use IT resources to threaten, intimidate, or harass others.
- 6. इस नेटवर्क पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटरों को वर्तमान वायरस डिटेक्शन सॉफ़्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्तमान अपडेट के साथ बनाए रखें और कंप्यूटर को वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और ऐसे अन्य एप्लिकेशन/मैलवेयर से मुक्त रखने का प्रयास करें।
  - Maintain the provided computers on this network with current virus detection software and current updates of the operating system and shall attempt to keep the computer free from viruses, worms, Trojan horse, and other such applications/malwares.
- 7. इंटरनेट/ईमेल के माध्यम से किसी भी अवैध फ़ाइल साझाकरण में शामिल न हों। Do not involve in any illegal file sharing through internet/email.
- 8. प्रदान की गई ईमेल आईडी का उपयोग केवल आधिकारिक संचार के लिए किया जाना चाहिए। Provided email ID should be used for official communication only.
- 9. डिग्री प्रदान होने के बाद ईमेल आईडी निष्क्रिय कर दी जाएगी। Email ID will be deactivated after the award of the degree.

## टिप्पणी:

#### Note:

- 1. इंटरनेट पर सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और उन्हें लॉग किया जाता है। All activity on the Internet is monitored and logged.
- 2. देखी गई सभी सामग्री को वायरस के लिए स्कैन किया जाता है। All material viewed is scanned for viruses.
- 3. देखी गई सभी सामग्री को आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्कैन किया जाता है। All the content viewed is scanned for offensive material.

ध्यान दें: इन नियमों में 'हॉल ऑफ रेजिडेंस' को 'हॉस्टल' कहा गया है। NOTE: 'Hall of Residence' is called as 'Hostel' in these Rules.